पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2010/79 दायर दिनांक 08.07.2010

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. पुसीदेवी पुत्री सुण्डाराम पत्नी मूलाराम, कौम—भाम्बी, निवासी—निम्बीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. दलूदेवी पत्नी सुरताराम, भाम्बी, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. भँवरीदेवी पुत्री सुरताराम पत्नी गिरधारीराम, कौम—भाम्बी, निवासी—पीड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. सुन्दर पुत्री सुरताराम पत्नी पूरणाराम, कौम—भाम्बी, निवासी—फोगड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 19.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 स्व0 सुण्डाराम भाम्बी निवासी खरेश के वंशज हैं। स्व0 सुण्डाराम के एक पुत्र सुरताराम व एक पुत्री वादीनी पुसीदेवी हुए। पुसीदेवी का लगभग 45 साल पहले विवाह हो गया। सुण्डाराम की पत्नी मांगूड़ी थी जिसका भी स्वर्गवास हो गया। सुण्डाराम का पुत्र सुरताराम जो वादीनी का सगा भाई था, का भी देहान्त हो गया है। प्रतिवादीनी संख्या 01 स्व0 सुरताराम की पत्नी है व प्रतिवादीनी संख्या 02 व 03 स्व0 सुरताराम की पुत्रियाँ हैं जो विवाहित हैं।

स्व0 सुण्डाराम की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 533/405 रकबा 20.05 बीघा, खसरा नम्बर 534/50 रकबा 05.18 बीघा, जुम्ले रकबा 26.03 बीघा वाकै सरहद खरेश हैं जिस पर स्व0 सुण्डाराम व उसकी पत्नी अपने जीवनपर्यन्त काबिज रहे व वादीनी की शादी उनके जीवनकाल में ही को गयी थी।

वादित भूमि की खातेदारी जरिये फौतगी नामान्तरकरण संख्या 872 के दलूदेवी पत्नी स्व0 सुरताराम व भँवरीदेवी, सुन्दरदेवी पुत्रियाँ

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सुरताराम एवं पूसीदेवी पुत्री सुण्डाराम कौम मेघवाल के नाम से दर्ज है। नकल खतौनी की छायाप्रति दावा के साथ पेश है।

वादित उपर्युक्त खसरान् की कुल भूमि के 1/2 भाग की भूमि पर वादीनी का कब्जाकाश्त है, शेष 1/2 भाग की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का कब्जाकश्त है। वादित उक्त खसरान् भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नहीं हुआ है जिस हेतु वाद पेश करना लाजमी आया है।

वादित खसरान् भूमि में से वादीनी के कब्जाकाश्त में चल आ रही 1/2 भाग को वादीनी ने मेहनत कर उपजाऊ बना लिया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.06.2010 को उक्त 1/2 भाग से बेदखल करने की धमकी दी है। प्रतिवादीगण ने अगर वादीनी को उक्त कब्जाकाश्त भूमि से बेदखल कर दिया तो वादीनी को अजहद नुक्शान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी।

बिनाय दिनांक 11.06.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 द्वारा वादीनी उसके कब्जाकाश्त की 1/2 भाग भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से व नकल लेने से अन्दर हदुद अदालत हाजा पैदा हुई।

प्रार्थना वादीनी है कि,

सरहद खरेश में खेत खसरा नम्बर 533/405 रकबा 20.05 बीघा व खसरा नम्बर 534/50 रकबा 05.18 बीघा, कुल रकबा 26.03 बीघा भूमि का वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बीच हक के मुताबिक बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाकर वादीनी को पैतृक हक की सम्भावित 1/2 भाग, जो उसके कब्जाकाश्त में चली आ रही है, बन्ट में दिलाई जावे। वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के खिलाफ जारी की जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 04 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वाद में निम्न तनकियात् कायम की गयीः–

1. आया वादिनी खेत खसरा नम्बर 533/405 रकबा 20.05 बीघा, खसरा नम्बर 534/50 रकबा 05.18 बीघा जुम्ले रकबा 26.03 बीघा वाकै सरहद खरेश की भूमि का वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बीच बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा करवाने एवं 1/2 भाग की भूमि का बन्ट कर अलग कराने की अधिकारिणी है?
(वादी)
2. आया वादिनी वादपत्र में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है?
(वादी)
3. आया वादिनी का 1/2 भाग पर कब्जाकाश्त नहीं हैं एवं वादिनी का वादपत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है?
(प्रतिवादीगण)
4. अनुतोष?

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2010/79
दायर दिनांक 08.07.2010, निर्णय दिनांक 19.06.2017
पुसीदेवी बनाम् दलूदेवी, वगैरा।

साक्ष्य वादी में PW–01, पुसीदेवी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का व PW–02, मूलाराम का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का न्यायालय में पेश हुआ।

वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 तक की खेवट संख्या 299 की प्रमाणित प्रतिलिपि, माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना में दर्ज अपील संख्या 24/20110 निर्णय दिनांक 30.09.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि, वाद के संलग्न पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित हुए। पक्षकार को सुना गया। पक्षकार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में मजमेआम में जानकारी प्राप्त की गयी।

वादीनी की इस्तदुआ है कि हक अनुसार दावा डिक्री किया जावे। प्रकरण में सुण्डाराम (फौत) व मगनुड़ी के वारिसान् फौत पुत्र सुरताराम व पुत्री वादीनी पुसीदेवी है। फौत सुरताराम तथा इसकी पत्नी दल्लूदेवी के वारिसान् भँवरीदेवी व सुन्दर हैं।

वर्तमान खातेदारी में सुरताराम पुत्र सुण्डाराम व मगनूड़ी बेवा सुण्डाराम दर्ज है। वाद के साथ प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 दलूदेवी सरुताराम की पत्नी है व प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 भँवरीदेवी व सुन्दर, सुरताराम की पुत्रियाँ है और स्वर्गीय सुरताराम, स्वर्गीय सुण्डाराम का पुत्र था। इसलिए प्रवितवादीगण संख्या 01 ता 03 स्वर्गीय सुरताराम के वारिसान् हैं। वादीनी पुसीदेवी स्वर्गीय सुण्डाराम की पुत्री है व सुरताराम की बहन है। इसलिए पुसीदेवी का हक अपने भाई के बराबर ही बनता है। अतः स्वर्गीय सुण्डाराम की उक्त वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग में वादीनी पूसीदेवी का हक बनता है और हिस्सा 1/2 भाग में स्वर्गीय सुरताराम के वारिसान् का हक बनता है।

अतः बाद विवचेन, हक अनुसार वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद खरेश में खसरा नम्बर 533/405 रकबा 20.05 बीघा व खसरा नम्बर 534/50 रकबा 05.18 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर हिस्सा 1/2 भाग का वादीनी को तथा हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को कोर्ट कैम्प–निम्बी कलाँ में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2010/79 — दायर दिनांक 08.07.2010

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. पुसीदेवी पुत्री सुण्डाराम पत्नी मूलाराम, कौम–भाम्बी, निवासी–निम्बीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. दलूदेवी पत्नी सुरताराम, माम्बी, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मँवरीदेवी पुत्री सुरताराम पत्नी गिरधारीराम, कौम–माम्बी, निवासी–पीड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. सुन्दर पुत्री सुरताराम पत्नी पूरणाराम, कौम–माम्बी, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188 R.T. Act.

दिनांक 19.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद खरेश में खसरा नम्बर 533/405 रकबा 20.05 बीघा व खसरा नम्बर 534/50 रकबा 05.18 बीघा का पक्षकारान् के मध्य बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर हिस्सा 1/2 भाग का वादीनी को तथा हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.06.2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प निम्बी कंला में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner